राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं0 एफ0 7 (229) परि/रूल्स/एच.क्यू./2003 71177 जयपुर, दिनांक : 25/8/10

अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 59) की धारा 65 की उप–धारा (2) और धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाये, 15 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) दिनांक 30.04.10 में प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 13.05.10 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

2. **नियम 4.3 का संशोधन .**– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4.3 के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या किसी व्यक्ति को उसके नये यान के लिए उसके पुराने यान को पहले से आवंटित पुराने संख्यांक रखने की," हटायी जायेगी।

3. **नियम 12.2 का संशोधन .**– उक्त नियमों के नियम 12.2 के विद्यमान उप–नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तुक परिवहन आयुक्त, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् प्रभारित फीस की अतिरिक्त रकम के प्रतिदाय के निदेश दे सकेगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार शर्मा)
उप शासन सचिव

My Computer/D/Deepak/Notification/Hindi Notification

Government of Rajasthan
Transport Department

No. F 7(229)/Pari/Rules/HQ/2003/ 71177 Jaipur, Dated: 25/8/10

NOTIFICATION

Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 65 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extraordinary part 3 (kha), dated 30-04-2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 15 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 13-05-2010.

And whereas, no objection & suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette and shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

2. **Amendment of rule 4.3.**- In proviso to rule 4.3 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, herein after referred to as the said rules, the existing expression "or a person on his new vehicle can retain old number already allotted to his previous vehicle," shall be deleted.

3. **Amendment of rule 12.2.**- After the existing sub-rule (4) of rule 12.2 of the said rules, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the Transport Commissioner may direct refund of excess amount of fee charged after the period specified above."

By order of the Governor

(Manoj Kumar Sharma)
Dy. Secretary to the
Government of Rajasthan